

तारीख
दुकम

1310-22

Not-press

२२

वकील वादी उपर। वकील वादी द्वारा
 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था
 में जांच किया कि पक्षकारान में शर्मा
 है गया है। इसलिये वादी अपने दावा
 को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। Not-press
 में खारिज कराना चाहते हैं। वकील
 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।
 वकील वादी द्वारा दावा Not-press किया
 गया। अतः दावा वादी शर्मा के आधार
 पर Not-press में खारिज किया गया है।
 पणवनी फैसल शुमाट हाके बाध दारिखत
 दफ्तर

(१७)

(सुनियेय शापव)

R.A.S.

उपरवठ ३.५
अधिकारी
वेर